रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 1999/ज्येष्ठ 13, 1921
No. 312] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 1999/JYAISTHA 13, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या-11 (आर. ई.-99)/1997—2002

नई दिल्ली, 3 जून, 1999

का. आ. 416(अ).—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 1.3 और 4.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 31 मार्च, 1997 को प्रकाशित निर्यात और आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण (संशोधित संस्करण-1998) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्-निर्यात और आयात मदें 1997—2002 (एच.एस.) वर्गीकरण के उक्त आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के अध्याय 50 में दर्शायी गई आयात लाइसेंसिंग मदों के अंत में, निम्नलिखित धारा को जोड़ा जाएगा:

2. "(4) एग्जिम कोड 50020000 के कॉलम संख्या 5 में दी गई शर्त के अनुसार अनुमत मलबेरी कच्चे रेशम के आयात के लिए, 19-5-1999 से पहले लदान किए/प्रेषित (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 15.14 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार) निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा :

(1) प्रमाणित करने वाली किसी विदेशी एजेंसी, चाहे वह उपर्युक्त लाइसेंसिंग टिप्पणी 3 में विनिर्दिष्ट हो अथवा नहीं (दिनांक 19-5-1999 की अधिसूचना द्वारा शामिल) द्वारा दिए गए कच्चे रेशम के ग्रेड 2क और उससे अधिक ग्रेड के प्रमाणपत्र सहित, खेपों को ग्रेड 2क और अधिक ग्रेड का माना जाएगा और उसकी केन्द्रीय रेशम बोर्ड को संदर्भित किए बिना उक्त प्रमाणपत्रों के बल पर निकासी करने की अनुमति होगी।

(2) दिनांक 19-5-1999 से पहले आयातित सभी ऐसे उपर्युक्त खेपों की निकासी हो जाएगी, भले ही रेशम के ग्रेड निर्धारित करने के नमूनों को पहले ही निर्धारित कर दिया गया हो और/अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने किसी विदेशी निरीक्षण एजेंसी द्वारा यथाप्रमाणित ग्रेडेशन को चुनौती दी हो/विवाद हुआ हो। यह उपाय एक समय के लिए है।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. संख्या 01/93/214/00001/ए.एम.-99]

एन० एल० लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

Notification No. - 11 (RE-99) 1997—2002

New Delhi, the 3rd June, 1999

S.O. 416 (E).—In exercise of powers conferred under section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraphs 1.3 and 4.1 of the Export and Import Policy, 1997—2002, the Central Government hereby makes the following amendments in the ITC(HS) Classifications of Export and Import Items, 1997—2002 published on 31st March, 1997 (RE-98) as amended from time to time, namely—In the Import Licensing Notes, appearing in Chapter 50 of the said ITC(HS) Classifications of Export and Import Items 1997—2002 (HS) Classification, the following clause shall be inserted in the end.

2. "(4) For import of Mulberry Raw Silk permitted as per condition in Column 5 to Exim Code 500200 00, shipped/ despatched (as per provisions contained in para 15.14 of Handbook of Procedure Vol. I) prior to 19.5.1999, the following procedures shall be adopted :

(i) The consignments accompanying a certificate for grade of raw silk of 2A and above given by any foreign certifying agency, whether specified or not in the Licensing Note 3 above (inserted vide Notification No. 9 dated 19.5.1999) may be treated as of grade 2A and above and permitted to be cleared on the strength of the said certificates without any reference to Central Silk Board (CSB).

(ii) All such above consignments imported prior to 19.5.1999 shall be cleared, even if samples to determine grade of silk had already been drawn and/or Central Silk Board has challenged/disputed the gradation as certified by a foreign inspection agency, as a one time measure."

This issues in public interest.

[F. No. 01/93/214/00001/AM-99]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999